Spl. Case (N.I.A.) No. 26/2024

Witness No. **01** For **अभियोजन** Deposition taken the **19th** day of **February 2026** Witness's apparent age **22 Yrs.**

States On Affirmation **शपथपूर्वक** my name is **सोनिया बंजारे**

D/ of **स्व० श्री पुनीत राम बंजारे** Occupation **ब्यूटी पार्लर में जॉब**

Address **ग्राम बरपाली थाना गिधौरी जिला बलौदाबाजार (छ०ग०)**

टीप – अभियुक्त रवि जाटवर न्यायिक अभिरक्षा में केंद्रीय जेल बिलासपुर (छ०ग०) से विडियो कांन्फ्रेन्सिग के माध्यम से उपस्थित ।

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री दाऊ चंद्रवंशी लोक अभियोजक वास्ते– शासन

1. मैं न्यायालय में उपस्थित आरोपी राहुल जाटवर को पहचानती हूं । मैं वीसी के माध्यम से उपस्थित आरोपी रवि जाटवर को नही पहचानती हूं तथा अनुपस्थित आरोपीगण पीलाराम यादव एवं पीतांबर पंकज को भी नही पहचानती हूं ।

2. मैं स्नातक हूं । मैं, आरोपी राहुल जाटवर की भाभी रेखा साहू के पार्लर में काम करती थी, जहां आरोपी राहुल जाटवर आता था इस कारण मैं आरोपी राहुल जाटवर को जानती– पहचानती हूं । मैं किसी घटना के बारे में नही जानती हूं ।

3. पुलिस वाले मुझसे पूछताछ कर मेरा बयान लेखबद्ध नही किए थे ।

टीप– इस स्तर पर विद्वान लोक अभियोजक द्वारा साक्षी के अभी तक के साक्ष्य को देखते हुए धारा 154 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत प्रतिपरीक्षण स्वरुप के प्रश्न पूछने की अनुमति चाही गई । उभयपक्ष को सुना गया । अभिलेख का अवलोकन किया गया, तत्पश्चात् अनुमति दी गई ।

4. यह कहना गलत है कि मेरा और आरोपी राहुल का एक–दूसरे से परिचय होने के बाद दोनो के बीच मित्रता हो गई थी । यह कहना गलत है कि आरोपी राहुल से मेरी मित्रता होने के कारण मेरे बैंक खाते को आरोपी राहुल जाटवर ही संचालित करता था । यह कहना गलत है कि आरोपी राहुल जाटवर मेरे बैंक खाते का गलत इस्तेमाल करता था । यह कहना गलत है कि मैं अपने बैंक खाते को बंद करा दी थी । मुझे जानकारी नही है कि मेरे बैंक खाते में नॉमिनी के रुप में आरोपी राहुल जाटवर का नाम था ।

5. यह कहना गलत है कि मैं आज आरोपी राहुल जाटवर के साथ न्यायालय आई हूं । यह कहना गलत है कि मैने पुलिस को बयान **प्र०पी० 1** के अ से अ भाग का कथन, "राहुल क्या काम करता था ----------- नॉमिनी कर दी

थी", की बात बताई थी । यह कहना गलत है कि मैं आरोपी राहुल के कहने पर आज सही बात नही बता रही हूं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री नरेंद्र कुमार वर्मा अधिवक्ता वास्ते– आरोपीगण राहुल जाटवर, रवि जाटवर एवं पीताम्बर पंकज</u>

6. मैं रेखा साहू के पार्लर दुकान में कब काम करती थी, यह नही बता सकती । यह कहना सही है कि रेखा साहू के रिश्तेदारों को मैं नही जानती । यह कहना सही है कि आरोपी राहुल जाटवर से मेरी कभी बातचीत नही हुई थी ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री चंद्रभूषण पासवान अधिवक्ता वास्ते– आरोपी पीलाराम यादव</u>

7. कुछ नहीं ।

साक्षी को कथन पढ़कर सुनाया गया ।
उसने सही होना स्वीकार किया ।
sirajuddin qureshi Digitally signed by sirajuddin qureshi
(सिराजुद्दीन कुरैशी)
विशेष न्यायाधीश (N.I.A. Act)
बिलासपुर (छ०ग०)

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया ।
sirajuddin qureshi Digitally signed by sirajuddin qureshi
(सिराजुद्दीन कुरैशी)
विशेष न्यायाधीश (N.I.A. Act)
बिलासपुर (छ०ग०)

गवाह का हस्ताक्षर